CHRONOLOGY

कार्य का नाम :– Reconstruction of road strengthening, widening, raising , cc. pavement & C.D. work kota (Kota-Kawai Salpura) to Dharnawada Km. 123/245 to 135/200 in dist. Baran under SHW (General) (Job No. 2/5054/SHW/General/paln/2013-14

1. उक्त कार्य हेतु 9850 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 (पत्रांक F-7(1852)/Sec-II/2013/D-111 दिनाक 24/05/2013) जारी की गयी थी। जिसके अन्तर्गत कोटा धरनावादा सड़क (कवाई से धरनावदा) तक कि.मी. 111/00 से 157/525 स्टेट हाइवे योजना स्वीकृत की गई। इसमें कंकरीट पेवमेन्ट एवं 39 पुलियाओं तथा 2000 मीटर लम्बाई में प्रोटेक्शन कार्य एव 400 मीटर लम्बाई में नाली निर्माण का कार्य तथा पूर्व निर्मित सड़क एलायमेंट पर ही चौड़ाई करण सुदृढीकरण एवं नवनीकरण का कार्य प्रस्तावित थे।
2. उक्त कार्य इस खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 606 दिनांक 26.08.2013 द्वारा मैसर्स Jainco Enterprise Pvt. Limited, Kota को आवंटित किया गया। जिसकी कार्यादेश राशि 19,99,92,387/– रूपये थी। कार्य की प्रारम्भ की तिथि 05.09.2013 तथा कार्य पूर्ण करनें की तिथि 04.08.2014 नियत थी।
3. उक्त सड़क के किमी 132/500 से 137/650 के मध्य वन भूमि क्षेत्र स्थित होने के कारण मण्डल वन अधिकारी बारां द्वारा माह सितम्बर 2013 में शुरू किये गये कार्य को बन्द करवा दिया गया।
4. अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा को पत्रांक 16 दिनांक 5.12.13 एवं 5605 दिनांक 29.04.2014 से प्रस्ताव तैयार कर नोडल अधिकार एफ.सी.ए. को प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया तथा पत्रांक 12802 दिनांक 27.08.2014 से प्रस्ताव ऑनलाईन करने हेतु लिखा गया। इसके उपरान्त उनके द्वारा प्रस्ताव दिनांक 28.01.2015 को ऑनलाईन प्रेषित किये गये। (Proposal No. FP/RJ/Road/6979/2014)
5. दिनांक 03.12.2014 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बारां की अध्यक्षता में जिला वनाधिकार समिति द्वारा FRA का अनुमोदन किया गया।
6. कोटा–धरनावदा सड़क का निर्माण वर्ष 1975 से पूर्व का हैं। विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त चैनेज में अतिरिक्त भूमि के प्रस्तावों में स्थित सड़क पर वन विभाग का मौके पर कोई फोरेस्ट बाउन्ड्री का डिमार्केशन, मुड्डियाँ नही होने के कारण वन विभाग की सीमा के ज्ञान के अभाव में प्रस्ताव पूर्व में प्रस्तुत नही किये जा सके।
7. वन विभाग द्वारा दर्ज एफ.आई. संख्या 07–42 दिनांक 27.09.2013 के प्रकरण में समझौता राशि 62,000/– रसीद क्रमांक 43–28 दिनांक 03.10.2013 द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी छबड़ा में जमा करवाकर केस शमन हेतु निवेदन कर दिया गया था।
8. Violation के समय पदस्थापित अधिकारी निम्नानुसार है :

क.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1	श्री जी.एल. राव	विभागाध्यक्ष	सेवानिवृत
2	श्री पी.के. जैन	अधीक्षण अभियंता	सेवानिवृत
3	श्री ओम प्रकाश शर्मा	अधिशाषी अभियंता (अतिरिक्त चार्ज)	RSRDC Kota
4	श्री ओम प्रकाश शर्मा	सहायक अभियंता उपखण्ड छबड़ा	RSRDC Kota

9. यदि वन विभाग भविष्य में उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई पेनेल्टी आरोपित करता है तो विभाग द्वारा नियमानुसार उक्त राशि जमा करवा दी जावेगी।

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा